जिन कार्यालयों में राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) का अनुपालन पूर्ण रूप से नहीं हो रहा है, वे निम्नलिखित हैं :—

(1) हस्तशिल्प तथा हथकरघा निर्यात निगम लि०, नई दिल्ली ।

(2) उत्तर-पूर्वी हस्तशिल्प तथा हथकरघा विकास निगम, शिलांग ।

(3) राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम, लखनऊ ।

(4) केन्द्रीय कुटीर उद्योग निगम, नई दिल्ली ।

धारा 10(4) तथा 8(4) :

संभवतः माननीय सदस्य का अभिप्राय राजभाषा नियम, 1976 के नियम 10(4) और नियम 8(4) से है। जहां तक नियम 10(4) के अधीन उपक्रमों के अधिसूचित किये जाने का संबंध है, राजभाषा नियमों के नियम 10(4) के अधीन निम्नलिखित को छोड़कर सभी उपक्रम अधिसूचित किये जा चुके हैं :—

(1) राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम, लखनऊ ।

(2) उत्तर-पूर्वी हस्तशिल्प तथा हथकरघा विकास निगम, शिलांग ।

इस मंत्रालय में नियंत्रण के अधीन उपक्रमों को अनुदेश दिए गए हैं कि वे यह सुनिश्चित करें कि नियम 8(4) के अनुसार ऐसे अधिकारी/कर्मचारी, जिन्हें हिन्दी में प्रवीणता प्राप्त है, नोटिंग व ड्राफ्टिंग में हिन्दी का प्रयोग करें ।

पुस्तकों आदि की खरीद :

निम्नलिखित उपक्रमों ने वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार अपने पुस्तकालयों के लिए हिन्दी पुस्तकों, समाचारपत्रों और पत्रिकाओं की व्यवस्था कर ली है :—

(1) राष्ट्रीय वस्त्र निगम, नई दिल्ली ।

(2) भारतीय कपास निगम बम्बई ।

(3) ब्रिटिश इण्डिया कारपोरेशन लि०, कानपुर ।

(4) राष्ट्रीय पटसन विनिर्माण निगम, कलकत्ता ।

(5) केन्द्रीय कुटीर उद्योग निगम, नई दिल्ली ।

अन्य उपक्रमों से भी इस संबंध में कदम उठाने का अनुरोध किया गया है।

Insult to National Flag in the Golden Temple complex

386. SRHI LAL K. ADVANI:
SHRI PRAMOD MAHAJAN:

Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that on the 26th January, 1987 pro-Khalistan slogans were raised and national tricolour flag was torn in the Golden Temple complex in Amritsar;

(b) if so, the number of persons involved; and

(c) how many of them have been apprehended and are being prosecuted?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI P. CHIDAMBARAM): (a) to (c) According to the information furnished by the Government of Punjab two cases have been registered in connection with such objectionable activities by some persons in the Golden Temple Complex on 26th January, 1987. No arrest has been made so far.